



इंडियन ऑयल शैक्षिक छात्रवृत्ति योजना – 2013

इंडियन ऑयल योग्यता व साधन आधार पर 10+ / आईटीआई, इंजीनियरी, एमबीबीएस और एमबीए पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए 2600 छात्रवृत्तियों की पेशकश करता है।

क्रम सं.	स्ट्रीम	जिस अवधि के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी और पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि	छात्र-वृत्तियों की सं.	अर्हक परीक्षा	अर्हक परीक्षा में न्यूनतम पात्रता अंक			प्रति माह छात्रवृत्ति राशि
					सा.	अनु. जा./ अनु. ज. जा./ अ. पि. व./ बालिकाएं	शा.अ/ शा.वि.	
1	10+/आईटीआई	2 वर्ष	2000	दसवीं	65%	60%	50%	रु. 1000
2	इंजीनियरी	4 वर्ष	300	बारहवीं	65%	60%	50%	रु. 3000
3	एमबीबीएस	4 वर्ष	200	बारहवीं	65%	60%	50%	रु. 3000
4	एमबीए	2 वर्ष	100	ग्रेज्युएशन	65%	60%	50%	रु. 3000

संक्षिप्ताक्षर : अनु. जा. : अनुसूचित जाति, अनु. ज. जा. : अनुसूचित जन जाति, अ. पि. व. : अन्य पिछड़ा वर्ग, सा: सामान्य, शा.अ. : शारीरिक रूप से अशक्त

ऑफर की गई छात्रवृत्तियां

1. "10+/आईटीआई अध्ययन के लिए इंडियनऑयल मेरिट छात्रवृत्ति योजना"

10+/आईटीआई अध्ययन के लिए 2000 छात्रवृत्तियों की पेशकश की जाती है। छात्रवृत्तियों का आनुपातिक वितरण राज्यवार होगा जो "2012-13 के दौरान दसवीं कक्षा के लिए मानक परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या पर" आधारित होगा।

2. "ग्रेज्युएट व पोस्ट ग्रेज्युएट अध्ययन के लिए इंडियनऑयल छात्रवृत्ति योजना"

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 600 छात्रवृत्तियों (इंजीनियरी -300, एमबीबीएस-200, और एमबीए-100) की पेशकश की जाती है। "वर्ष 2012-13 के दौरान बारहवीं की मानक परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या" के आधार पर छात्रवृत्तियों का न्यायसंगत वितरण ज्ञानवार अर्थात् उत्तर, दक्षिण, पूर्व, और पश्चिम होगा।

पात्रता : इन स्ट्रीमों में पूर्ण कालिक /नियमित पाठ्यक्रमों (पत्राचार या दूरस्थ प्रणाली से नहीं) में पढ़ने वाले विद्यार्थी और एम सी आई/ए आई सी टी ई/राज्य शिक्षा बोर्डों /राज्य सरकारों/आई सी एससी/आईएससी/सीबीएसई/केन्द्र सरकार/भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों/कॉलेजों/संस्थाओं/विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले विभिन्न स्ट्रीमों में नीचे दिए गए अनुसार आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

10+/आईटीआई: (10+ के लिए) - 11वीं कक्षा/इंटरमीडियट पाठ्यक्रम या 2013-14 में समकक्ष पाठ्यक्रम के पहले वर्ष के प्रामाणिक छात्र (पूर्णकालिक/नियमित) आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

(आईटीआई के लिए) - वर्ष 2013-14 में 2 वर्षीय आईटीआई पाठ्यक्रम के पहले वर्ष के प्रामाणिक छात्र (पूर्णकालिक/नियमित) आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

इंजीनियरिंग और एमबीबीएस: वर्ष 2013-14 (न्यूनतम 4 वर्ष के पाठ्यक्रम की अवधि) में इंजीनियरिंग/एमबीबीस डिग्री पाठ्यक्रमों के पहले वर्ष के प्रामाणिक छात्र (पूर्णकालिक/नियमित) आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

एमबीए: वर्ष 2013-14 में व्यवसाय प्रशासन/प्रबंधन में 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के पहले वर्ष के प्रामाणिक छात्र (पूर्णकालिक/नियमित) आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

इन पाठ्यक्रमों के संबंधित पहले वर्ष में प्रवेश पाने के लिए पात्र छात्रों की योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत की गणना सभी विषयों के कुल औसत अंकों के आधार पर की जाएगी। विभिन्न वर्गों के छात्रों से प्राप्त अंकों की न्यूनतम पात्रता प्रतिशत तालिका में दी गई है।

योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत की गणना सभी विषयों के कुल औसत अंकों पर आधारित होगी। स्नातकों के मामले में प्राप्त अंकों के प्रतिशत की गणना स्नातक के सभी शैक्षणिक वर्षों के सभी विषयों के अंकों के कुल औसत पर की जाएगी।

सभी पाठ्यक्रमों के लिए अंकों का मानकीकरण प्रतिशत पद्धति का प्रयोग करके किया जाएगा ताकि विभिन्न बोर्डों और विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए गए अंकों के अंतर को तर्कसंगत बनाया जा सके।

आय: वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान सभी स्रोतों से छात्र के परिवार की कुल संयुक्त आय प्रतिवर्ष 1,00,000/- (एक लाख रुपए मात्र) से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, अंक समान होने पर वरियता उन छात्रों को दी जाएगी जिनकी पारिवारिक आय (वर्ष 2012-13 में कुल स्रोतों से सकल संयुक्त आय) 60,000/- रुपए (साठ हजार रुपए मात्र) तक हो। आय प्रमाण-पत्र राज्य/संघ शासित क्षेत्रों/केन्द्र सरकार के सिविल प्राधिकारियों द्वारा ही जारी किया हुआ होना चाहिए, जिसका ब्यौरा सामान्य अनुदेशों में विनिर्दिष्ट किया गया है। आय के प्रमाण के समर्थन में अन्य किसी शपथ-पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आयु सीमा: दिनांक 01.07.2013 को आयु न्यूनतम 15 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। दिनांक 01.07.1983 से 01.07.1998 (दोनों दिन मिलाकर) के बीच जन्म लेने वाले व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र हैं। तथापि, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।

आरक्षण: 49.5% छात्रवृत्तियां आरक्षित हैं अर्थात् अ.जा. (15%), अ.ज.जा.(7.5%) और ओबीसी (27%)। ओबीसी कोटा के लिए केवल केन्द्र सरकार की ओबीसी सूची में सूचीबद्ध जातियों पर ही विचार किया जाएगा। राज्य सूची में शामिल ओबीसी उम्मीदवार, किंतु जिन्हें केन्द्र सरकार की ओबीसी सूची में शामिल नहीं किया गया है, सामान्य उम्मीदवारों के रूप में आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक श्रेणी/उप-श्रेणी में छात्राओं के लिए 25% छात्रवृत्तियां और विकलांग व्यक्तियों के लिए 10% छात्रवृत्तियां (विकलांग अधिनियम 1952 के अंतर्गत परिभाषा के अनुसार न्यूनतम 40% विकलांगता) आरक्षित हैं। उपर्युक्त आरक्षण को समग्र अखिल भारत आधार पर बनाए रखा जाएगा।

आवेदन: उपर्युक्त पात्र मानदंड को पूरा करने वाले <http://ioclscholar.sifyitest.com> या <http://www.iocl.com/Aboutus/Scholarships.aspx> में लॉग ऑन करके आवेदन कर सकते हैं। यह साइट ऑन लाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए दिनांक 05.7.2013 से 30.9.2013 तक खुली रहेगी। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन देने पर सिस्टम एक अद्वितीय पंजीकरण संख्या देगा। आवेदकों को छात्रवृत्तियां दिए जाने तक भावी संदर्भ/पत्राचार के लिए अपने पास इसका एक प्रिंट रखना चाहिए।

दस्तावेज़ प्रस्तुत करना: सभी आवेदकों को दस्तावेज़ सहित विधिवत हस्ताक्षरित ऑनलाइन आवेदन फार्म का प्रिंट जांच/सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत किए जाने वाले ऐसे फार्म/दस्तावेजों का ब्यौरा उपर्युक्त वेबवाइट में दिया गया है।

यदि ऑनलाइन आवेदन में उपलब्ध कराया गया व्योरा गलत पाया जाता है और प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ मेल न खाता हो, तो ऐसे आवेदकों के आवेदन को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और इस संबंध में कोई पत्राचार/कार्रवाई पर विचार नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त दस्तावेज दिनांक 15.10.2013 को या उससे पहले निम्नलिखित पते पर सीलबंद लिफाफे में पहुंच जाने चाहिए:

सिफी टेक्नोलॉजिस लिमिटेड
(आईओसीएल ईएसएस । - परीक्षा प्रभाग)
प्लॉट नं. बी 7, सेक्टर - 132
नोएडा - 201301 (उत्तर प्रदेश)
(प्रमुख पहचान चिह्न: Naukri.com के कार्यालय से अगला)

दिनांक 15.10.2013 के बाद प्राप्त होने वाले दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदकों को अपने दस्तावेज विशेषकर स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक द्वारा भेजने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सूचना:

1. चयन का मानदंड योग्यता और पारिवारिक आय आधार पर होगा।
2. इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति धारक इस छात्रवृत्ति की अवधि के दौरान अन्य किसी स्रोत से कोई छात्रवृत्ति/वजीफा/वित्तीय सहायता प्राप्त न कर रहा हो।
3. किसी छात्रवृत्तिधारी को किसी समय रोजगार उपलब्ध कराना आईओसीएल की कोई बाध्यता नहीं होगी।
4. आईओसीएल को बिना कोई नोटिस दिए/कोई कारण बताए किसी आवेदन को रद्द करने/छात्रवृत्ति को निलंबित करने का अधिकार होगा।
5. आईओसीएल के कर्मचारियों, इसके संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों और इस योजना का प्रबंधन करने वाले परामर्शदाताओं के बच्चे आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगे।

6. आवेदकों को वैध और सक्रिय ई-मेल पता, मोबाइल नम्बर और अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र फार्म में बैंक खाता सं. उपलब्ध करानी होगी और अपने व्यक्तिगत ई-मेल/मोबाइल एसएमएस को योजना के प्रशासक की वेबसाइट <http://ioclscholar.sifyitest.com> तथा <http://www.iocl.com/Aboutus/Scholarships.aspx> और योजना/आईओसीएल के प्रशासक से उनके लिए विनिर्दिष्ट अनुदेशों की नियमित रूप से जांच करते रहना चाहिए।
7. आईओसीएल डाक द्वारा दस्तावेजों के देरी से पहुंचने या उनके मार्ग में गुम/क्षतिग्रस्त होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
8. किसी विवाद के लिए क्षेत्राधिकार न्यायालय दिल्ली होगा।
9. योजना के प्रशासक सहित कोई जांच/सूचना या पत्राचार निम्नलिखित पते पर किया जाएगा:

सिफी टेक्नोलॉजिस लिमिटेड
(आईओसीएल ईएसएस । - परीक्षा प्रभाग)
प्लॉट नं. बी 7, सेक्टर - 132,
नोएडा - 201301 (उत्तर प्रदेश)
(प्रमुख पहचान चिह्न: Naukri.com के कार्यालय से अगला)
फोन: 9810421827 / 9810422305
ई-मेल: iocless@sifyitest.com

